To Establish Gramudyogs in Rural Areas

***892** **Smt. Nirmal Rani, M.L.A.** : Will the Deputy Chief Minister be pleased to state the policies made by the Government for Women Entrepreneurs interested in establishing Gramudyogs in rural area of State?

Reply:-

Sh. Dushyant Chautala, Deputy Chief Minister of Haryana

Sir, a statement is laid on the table of the House.

ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम उद्योग स्थापित **करना**

892* **श्रीमती निर्मल रानी, एम.एल.ए.:** क्या उप–मुख्यमंत्री कृपया बताएंगें कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामोद्योग स्थापित करने में इच्छुक महिला उद्यमियों के लिए सरकार द्वारा कोई नीति बनाई गई है?

उत्तरः–

श्री दुष्यंत चौटाला, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री

महोदय, वक्तव्य सदन के पटल पर रखा गया है।

Statement in respect of *892

To Establish Gramodyog in Rural Areas

Recently, the State Government notified the "Haryana Enterprises & Employment Policy-2020" dated 28th December 2020 which is effective from 1st January 2021 to 31st December 2025 for a period of five years.

The new Haryana Enterprise and Employment policy, 2020 seeks to position Haryana as a favoured investment destination, achieve regional development, export diversification and augment livelihood opportunities. The objective is to attract investments of INR 1 lakh crore and generate 5 lakh jobs in the State. The policy focuses on strengthening the services sector which contributes over 50% to the State's Gross Value Added, strengthening MSMEs and seeks to boost investment in eight thrust sectors: 1. Auto, Auto Components & Light Engineering 2. Agro-based, Food Processing & Allied Industry 3. Textile and Apparel 4. Electronics System Design & Manufacturing (ESDM) 5. Defence and Aerospace Manufacturing 6. Pharmaceutical & Medical Devices 7. Chemical and Petrochemicals 8. Large Scale Energy and Data Storage.

The policy offers an array of attractive fiscal incentives including investment subsidy, interest subsidy, stamp duty refund, electricity duty refund, employment subsidy and technology acquisition support. This policy provides critical support to MSMEs for enhancing productivity, quality and market access and promoting the entrepreneurial spirit, in which the Ease of Doing Business in the State matches and even exceeds the best global standards through regulatory reforms in land, labour, power and institutional mechanisms.

To encourage setting up of MSME enterprises by Women Entrepreneurs, the following policy initiatives have been taken in HEEP, 2020:

1. **Investment Subsidy in lieu of Net SGST:** 75% of Net SGST for first 7 years, 35% for next 3 years in 'B', 'C' and 'D' category blocks with cap of 150% of FCI for woman/SC/ST led micro enterprise.

2. **Special provisions for Start-Ups:** Reimbursement of 30% of lease rental subsidy for general and 45% for start-ups with only women founders, period of 1 year up to INR 5 lakh.

3. **Employment Generation Subsidy:** For capacity building of persons belonging to Haryana (skilled/semi-skilled/un-skilled) [having Haryana Resident Certificate], Subsidy @ INR 48,000/- per year for SC/ Women and INR 36,000/- per year for general category for 7 years in 'B' 'C' & 'D' category blocks for direct employment on pay roll or contract.

4. **Labour Reforms:** The provision for allowing three working shifts for women shall be made for Data Centre Units and other industries as notified by the Government time to time.

5. **Capital Subsidy:** Under this benefit, the entrepreneur will receive subsidy @ 15% on the Cost of Plant and Machinery and Building for setting up Business Unit outside the Municipal Limits in Rural Areas. Maximum Benefits will be Rs. 20.00 Lacs. For Women/ SC/ST Applicants, the maximum capital subsidy will be Rs. 25.00 lacs. However, in case of Textile units, the entrepreneur capital subsidy for women is higher @ 15%, maximum up to INR 25 lakh (10% up to INR 20 lakhs for others).

6. **Loan assistance to Women Entrepreneurs:** Women Entrepreneurs/ Women Co-operatives/Women Self Help Groups (SHGs) shall be provided 8% interest subsidy on term loan up to limit of INR 12 lakh per year for 5 years per units across state. The subsidy shall not exceed amount of net SGST paid during the relevant year.

7. Prime Ministers Employment Generation Programme (PMEGP)

The scheme is implemented by Khadi and Village Industries Commission (KVIC) to generate employment opportunities in rural as well as urban areas through setting up of new self-employment micro-enterprises especially focusing on youth, women and traditional artisans. Under the scheme, women entrepreneurs are covered under Special Category and they are provided following benefit for setting up new enterprises under the scheme:

S. No	Category	Beneficiary Contribution	Rate of Subsidy	
			Urban	Rural
1	General Category	10%	15%	25%
2	Special Category (including SC/ST/OBC/Minorities/Women etc.	05%	25%	35%

In the light of the above it could be seen that the Government of Haryana is creating adequate entrepreneurial opportunities for women entrepreneurs in rural areas.

*892 के संबंध में कथन

ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम उद्योग स्थापित करना

हाल ही में, राज्य सरकार द्वारा "हरियाणा उद्यम व रोजगार नीति – 2020" दिनांक 28.12.2020 को अधिसूचित की गई जोकि 1 जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर 2025 तक पांच साल की अवधि के लिए प्रभावी है।

नई हरियाणा उद्यम व रोजगार नीति– 2020 का उद्देश्य हरियाणा को एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थान दिलाने, क्षेत्रीय विकास, निर्यात विविधीकरण और आजीविका के अवसरों में वृद्धि को बढ़ाना है। इसका लक्ष्य राज्य में 1 लाख करोड़ रूपये के निवेश को आकर्षित करना और 5 लाख रोजगार उत्पन्न करना है। नीति उन सेवाओं के क्षेत्र को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करती है जो राज्य के सकल मूल्य वर्धन में 50 प्रतिशत से अधिक का योगदान दे रहे है, एम.एस.एम.ई. को मजबूत करने और आठ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैः 1. ऑटो, ऑटो घटक और लाइट इंजीनियरिंग 2. कृषि आधारित, खाद्य प्रसंस्करण और संबद्ध उद्योग 3. कपड़ा और परिधान 4. इलेक्ट्रोनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) 5. रक्षा और एयरोस्पेस विनिर्माण 6. दवा और चिकित्सा उपकरण 7. रासायनिक और पेट्रोकेमिकल 8. बड़े पैमाने पर ऊर्जा और डेटा भंडारण।

यह नीति आकर्षक राजकोषीय प्रोत्साहन की पेशकश करती है, जिसमें निवेश अनुदान, ब्याज अनुदान, स्टैंप डयूटी रिफंड, बिजली शुल्क वापसी, रोजगार अनुदान और

प्रौद्योगिकी अधिग्रहण सहायता शामिल हैं। यह नीति एम.एस.एम.ई. की उत्पादकता, गुणवत्ता और बाजार तक पहुंच बढ़ाने और उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है, जिसमें राज्य में व्यवसाय करने में सहजता, भूमि, श्रम शक्ति एवं संस्थागत तंत्र में विनियामक सुधार के माध्यम से सर्वश्रेश्ष्ठ वैश्विक मानको से मेल खाती है बल्कि उनसे ऊपर है।

महिला उद्यमियों द्वारा एम.एस.एम.ई. उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा उद्यम व रोजगार नीति – 2020 में निम्नलिखित नीतिगत पहल की गई है:

1. **नेट एसजीएसटी के बदले में निवेश अनुदानः** पहले 7 वर्षों में नेट एसजीएसटी का 75 प्रतिशत, अगले 3 वर्षों में 35 प्रतिशत जो कि बी, सी व डी श्रेणी के ब्लॉकों में 150 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के एफसीआई के साथ महिला/अनुसुचित जाति/अनुसुचित जनजाति द्वारा संचालित सुक्ष्म उद्योग को देय है।

2. **स्टार्ट–अप के लिए विशेष प्रावधानः** सामान्य वर्ग के लिए लीज रेंटल अनुदान का 30 प्रतिशत और केवल महिला संस्थापकों के स्टार्ट–अप के लिए 45 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति, 1 वर्ष की अवधि तक अधिकतम 5 लाख रूपये।

3. **रोजगार सृजन अनुदानः** हरियाणा से संबंधित व्यक्तियों की क्षमता निर्माण हेतु (कुशल/अर्ध–कुशल/गैर–कुशल) {जिसके पास हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र हो} अनुदान रू0 48,000/– प्रति वर्ष अनुसूचित जाति/महिला तथा रू0

36,000/– प्रति वर्ष सामान्य श्रेणी के लिए बी, सी और डी श्रेणी ब्लॉक में 7 वर्ष के लिए वेतननिधि या अनुबंध पर प्रत्यक्ष रोजगार के लिए।

4. **श्रम सुधारः** सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित डाटा सेंटर यूनिट व अन्य उद्योगों में महिलाओं के लिए तीन कार्यशील शिफ्टों में कार्य करने का प्रावधान किया गया है।

5. **पूंजीगत अनुदानः** इस लाभ के तहत, उद्यमी को ग्रामीण क्षेत्रों में नगर निगम सीमा के बाहर व्यवसाय इकाई स्थापित करने हेतु संयंत्र और मशीनरी और भवन की लागत पर 15 प्रतिशत की अनुदान अधिकतम रू0 20.00 लाख मिलेगी व महिला/एससी/एसटी आवेदकों के लिए अधिकतम पूंजी अनुदान रू0 25.00 लाख हैं। हालांकि, कपड़ा इकाईयों के मामले में, महिलाओ के लिए उद्यमी पूंजीगत अनुदान ज्यादा है @ 15 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रू0 25 लाख, (अन्य के लिए 10 प्रतिशत, अधिकतम रू0 20 लाख तक)।

6. **महिला उद्यमियों के लिए ऋण सहायताः** महिला उद्यमियों/महिला सरकारी समितियों/महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को राज्य भर में 5 वर्षो के लिए वार्षिक मियादी ऋण रू0 12 लाख तक 8 प्रतिशत ब्याज का अनुदान प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा। अनुदान संबंधित वर्ष के दौरान भुगतान किए गए कुल एसजीएसटी की राशि से अधिक नहीं होगा।

7. <u>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम</u>

यह योजना खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए लागू की गई है, जिसमें नए स्वरोजगार सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं और पारंपरिक कारीगरों पर ध्यान रखते हुए किया गया है। इस योजना के तहत, महिला उद्यमियों को विशेष श्रेणी के तहत कवर किया गया है और योजना के तहत नए उद्यम स्थापित करने के लिए उन्हें निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाते हैः

क्रमांक	वर्ग	लाभार्थी योगदान	अनुदान की दर	
			शहरी	ग्रामीण
1	सामान्य श्रेणी	10%	15%	25%
2	विशेष श्रेणी (एससी/ एसटी/ आबीसी/ अल्पसंख्यक/ महिला आदि सहित)	05%	25%	35%

उपरोक्त के प्रकरण में यह देखा जा सकता है कि हरियाणा सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमियों के लिए पर्याप्त उद्यमशीलता के अवसर पैदा कर रही है।